

निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी उत्तराखण्ड



उत्तराखण्ड शासन

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
के अधीन प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित सूचना

मैनुअल-15

23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून

सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित हैं तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं

निदेशालय कोषागार में प्रत्यक्ष रूप से आम जनता से सीधे जुड़े कार्यों एवं अपेक्षाओं युक्त कोई कार्य योजना एवं दायित्व नहीं हैं। संगठन में मुख्यतः राज्य के वित्तीय प्रबन्ध एवं नियंत्रण से जुड़े इस संगठन एवं इसके नियंत्रणाधीन जनपदीय कार्यालयों के लिये निर्धारित दायित्व के अनुसार भुगतान से सम्बन्धित, लेखा परीक्षा से सम्बन्धित एवं राज्य के आय-व्ययक के विभिन्न स्वरूपों में रखे गये वित्तीय आंकड़े की सूचनाएं एवं विवरण कोषागारों/उपकोषागारों/भुगतान एवं लेखा कार्यालयों के स्तर पर रखे जाने की व्यवस्था है। यदि इनसे सम्बन्धित कोई सूचना अभिप्राप्त करने वाला नागरिक सम्पर्क करता है तो उसे अपेक्षित सूचना एवं जानकारी उपलब्ध करायी जा सकती है। प्रत्यक्ष रूप से सीधे जनता से जुड़े किसी कार्ययोजना एवं दायित्वों के नहीं होने के फलस्वरूप निदेशालय एवं इसके नियंत्रणाधीन जनपदीय कार्यालयों में पुस्तकालय एवं वाचनालय जैसी लोक उपयोगी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं रही है, सूचनाओं की प्राप्ति एवं जानकारी हेतु सशक्त इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के वर्तमान युग में इसका उपयोग अधिक प्रभावी है। अतः विभाग की वित्तीय गतिविधियों एवं इससे जुड़े नियमों, मैनुअलों को वैबसाइट <https://ekosh.uk.gov.in/> में रखे जाने की प्रक्रिया शासन द्वारा गतिमान है। वर्तमान में राज्य के सरकारी सेवकों को भुगतानित वेतन एवं पेंशनरों को भुगतान की जाने वाली पेंशन की धनराशि, सरकारी सेवक का नाम, पदनाम, वेतनमान, एवं अन्य जानकारियां इसी प्रकार पेंशनरों की जानकारी इत्यादि वैबसाइट <https://ifms.uk.gov.in/> में उपलब्ध रहती है। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल एवं तत्सम्बन्धी शासनादेश वैबसाइट <https://budget.uk.gov.in> में उपलब्ध हैं। यह भी प्रयास किया जा रहा है कि शासकीय कार्य को सुचारू-रूप से सम्पादन हेतु दिशा-निर्देश देने वाली सभी वित्तीय हस्तपुस्तिकायें व समय-समय पर जारी शासनादेशों को वेबसाइट में डाल दिया जाय जो सम्बन्धित विभागों, कार्मिकों एवं जन-सामान्य के लिये सुविधाजनक होगा। निदेशालय स्तर पर अलग से पुस्तकालय/वाचनालय की व्यवस्था स्थान के अभाव के कारण नहीं हो पायी है, फिर भी वित्त सम्बन्धी पुस्तकों का संग्रह किया गया है, जिनका उपयोग शासकीय कार्य सम्पादन में सहायक है।